



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22524-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29235/2025**

लखमी चंदयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुरेन्द्र प्रताप सिंह, वैष्णो पूजन यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस प्रकार, वह इस याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपर्युक्त कथन के आलोक में, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"